

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218684  
SG-DL-E-14032020-218684

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]	दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 2020/फाल्गुन 24, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 411
No. 51]	DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 2020/PHALGUNA 24, 1941	[N.C.T.D. No. 411

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सं. फा. 19(95)/परिवहन/सचि./10/20110.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 19(95)/परिवहन/सचि./10/257 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन किये गये तथा अनुसूची के समरूप कॉलम संख्या (3) में विनिर्दिष्ट राशि सहित कॉलम संख्या (2) में उल्लिखित धारा/धाराओं के अधीन दंडनीय यातायात अपराधों के समाधान के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम संख्या (4) में यथा उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं:-

## अनुसूची

क्र. सं.	धारा जिसके अधीन अपराध दंडनीय हैं	विनिर्दिष्ट प्रशमन के लिये राशि (रुपये)	वे अधिकारी जिन्हें समाधान करने का अधिकार प्रदत्त है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	177 (प्रथम अपराध)	500.00	दिल्ली यातायात पुलिस के प्रधान सिपाही अथवा इससे ऊपर के रैंक के तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सिपाही तथा इससे ऊपर के अधिकारी
2	177 (द्वितीय या परवर्ती अपराध)	1500.00	—वही—
3	178(1) या (2)	500.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी।
4	178(3) (क)	50.00	—वही—
5	178(3) (ख)	500.00	—वही—
6	179(1) या (2)	2000.00	—वही—
7	180	5000.00	—वही—
8	181	5000.00	—वही—
9	182(1)	10,000.00	—वही—
10	182(2)	10,000.00	—वही—
11	182 क (1)	100000.00 प्रति वाहन	परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी।
12	182 क (3)	100000.00 प्रति पुरजा	— वही —
13	182 क (4)	5000.00 प्रति परिवर्तन	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी।
14	182 ख	10,000.00	परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी।
15	183(i) हल्का मोटर वाहन	2000.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी।
16	183 (ii) मध्यम भार वाहक वाहन या मध्यम यात्री वाहन या भारी माल वाहक वाहन या भारी यात्री वाहन	4000.00	—वही—
17	184 (प्रथम अपराध) (केवल हाथ से आयोजित संचार उपकरण के उपयोग की सीमा तक)।	5000.00	—वही—
18	184 (द्वितीय या परवर्ती अपराध) (केवल हाथ से आयोजित संचार उपकरण के उपयोग की सीमा तक)।	10,000.00	—वही—

19	186 (प्रथम अपराध)	1000.00	—वही—
20	186 (द्वितीय या परवर्ती अपराध)	2000.00	—वही—
21	189 (प्रथम अपराध)	5000.00	—वही—
22	189 (द्वितीय अपराध)	10,000.00	— वही —
23	190(2) (प्रथम अपराध या परवर्ती अपराध)	10,000.00	—वही—
24	192(1) (प्रथम अपराध)	5000.00	—वही—
25	192(1) (द्वितीय या परवर्ती अपराध)	10,000.00	— वही —
26	192 क (प्रथम अपराध या परवर्ती अपराध)	10,000.00	— वही —
27	194 (1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 कि धारा 115 के उल्लंघन में वाहन चलाना	20,000.00	—वही—
28	194 (1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 या 114 के उल्लंघन में वाहन चलाना	20,000.00 + 2000.00 अतिरिक्त भार का प्रति टन का प्रभार + माल उतारने का प्रभार	परिवहन विभाग के सहायक उप-निरीक्षक अथवा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ।
29	194(2)	40,000.00	—वही—
30	194 (1क)	20,000.00 + माल उतारने का प्रभार	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रैंक के अधिकारी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तथा परिवहन विभाग में सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
31	194 क	200.00 प्रति अतिरिक्त यात्री	—वही—
32	194 ख (1) तथा (2)	1000.00	दिल्ली यातायात पुलिस के प्रधान सिपाही अथवा इससे ऊपर के रैंक के तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सिपाही तथा इससे ऊपर के अधिकारी ।
33	194 ग	1000.00	— वही —
34	194 घ	1000.00	— वही —
35	194 ड.	10,000.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रैंक के अधिकारी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तथा परिवहन विभाग में सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी ।
36	194 च (क) तथा (ख ) (प्रथम अपराध)	1000.00	दिल्ली यातायात पुलिस के प्रधान सिपाही अथवा इससे ऊपर के रैंक के तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सिपाही तथा इससे ऊपर के अधिकारी ।
37	194 च (क) तथा (ख) (द्वितीय तथा परवर्ती अपराध)	2000.00	— वही —
38	196 (प्रथम अपराध)	2000.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रैंक के अधिकारी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी ।
39	196 (द्वितीय तथा परवर्ती अपराध)	4000.00	— वही —
40	198	1000.00	— वही —

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जैसे संशोधित) की धारा 210ख के अनुपालन में, इस अधिनियम के प्रावधान को लागू करने का अधिकार प्राप्त कोई भी प्राधिकारी, इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो उसकी संरचना के लिए उपरोक्त अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि का दोगुना देय होगा।
3. प्राधिकृत अधिकृत अधिकारियों द्वारा समाधान की गई राशि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के "मुख्य शीर्ष 0041, वाहनों पर कर, 101- आईएमवी (शुल्क एवं दंड)", में जमा की जायेगी।
3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
के. के. दहिया, विशेष सचिव (परिवहन)

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 13th March, 2020

**No. F. 19(95)/Tpt./Sectt./10/20110.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200, read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the notification No. 19(95)/Tpt/Sectt./10/257 dated the 20<sup>th</sup> December, 2016, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the officers as mentioned in column No. (4) of the Schedule given below to compound traffic offences committed under the said Act and punishable under the section/sections mentioned in column No. (2), with the amount specified in the corresponding column No. (3) of the said Schedule, namely :—

### SCHEDULE

Sl. No.	Section under which offence is punishable	Amount for composition specified (Rs.)	Officers to whom authority is conferred to compound
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	177 (1 <sup>st</sup> offence)	500.00	Officers of the rank of Head Constable and above of Delhi Traffic Police and Head Constable and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
2.	177 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	1,500.00	-do-
3.	178(1) or (2)	500.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above of Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi
4.	178(3)(a)	50.00	-do-
5.	178(3)(b)	500.00	-do-
6.	179(1) or (2)	2,000.00	-do-
7.	180	5,000.00	-do-
8.	181	5,000.00	-do-
9.	182(1)	10,000.00	-do-
10.	182(2)	10,000.00	-do-
11.	182A (1)	1,00,000.00 per vehicle	Officers of the rank of Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi
12.	182A (3)	1,00,000.00 per component	-do-

13.	182A (4)	5,000.00 per alteration	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above of Delhi Traffic Police and Assistant Sub Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi
14.	182B	10,000.00	Officers of the rank of Sub-Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi
15.	183 (i) Light Motor Vehicle	2,000.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above of Delhi Traffic Police and Assistant Sub Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi
16.	183 (ii) Medium Goods Vehicle or Medium Passenger Vehicle or Heavy Goods Vehicle or Heavy Passenger Vehicle	4,000.00	-do-
17.	184 (1 <sup>st</sup> offence) (only to the extent of use of hand held communication device)	5,000.00	-do-
18.	184 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence) (only to the extent of use of hand held communication device)	10,000.00	-do-
19.	186 (1 <sup>st</sup> offence)	1,000.00	-do-
20.	186 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	2,000.00	-do-
21.	189 (1 <sup>st</sup> offence)	5,000.00	-do-
22.	189 (2 <sup>nd</sup> offence)	10,000.00	-do-
23.	190 (2) (1 <sup>st</sup> offence or subsequent offence)	10,000.00	-do-
24.	192 (1) (1 <sup>st</sup> offence)	5,000.00	-do-
25.	192 (1) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	10,000.00	-do-
26.	192A (1 <sup>st</sup> offence or subsequent offence)	10,000.00	-do-
27.	194(1) vehicles driven in contravention of section 115 of the M.V. Act, 1988	20,000.00	-do-
28.	194(1) vehicles driven in contravention of section 113 or section 114 of the M.V. Act, 1988	20,000.00+ 2,000.00 per tonne of excess load+charges of off load	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above of the Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
29.	194(2)	40,000.00	-do-
30.	194(1A)	20,000.00 + charges of off load.	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above in the Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of the Transport Department.
31.	194A	200.00 per excess passenger	-do-
32.	194B (1) & (2)	1,000.00	Officers of the rank of Head Constable and above of Delhi Traffic Police and Head constable and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.

33.	194C	1,000.00	-do-
34.	194D	1,000.00	-do-
35.	194E	10,000.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above in the Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of the Transport Department.
36.	194F (a) & (b) (1 <sup>st</sup> offence)	1,000.00	Officers of the rank of Head Constable and above of Delhi Traffic Police and Head constable and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
37.	194F (a) & (b) (2 <sup>nd</sup> and subsequent offence)	2,000.00	-do-
38.	196 (1 <sup>st</sup> offence)	2,000.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above in the Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of the Transport Department.
39.	196 (2 <sup>nd</sup> and subsequent offence)	4,000.00	-do-
40.	198	1,000.00	-do-

2. In compliance of Section 210B of Motor Vehicles Act, 1988 (as amended), any authority that is empowered to enforce the provision of this Act shall, if such authority commits an offence under this Act, shall be liable for twice the amount for composition as specified in column (3) of the above Schedule.
3. The amount compounded by the authorized officers shall be deposited in the "Major Head 0041, taxes on vehicles, 101-IMV (Fees & Fine)", of the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi.
4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
K. K. DAHIYA, Special Secy. (Transport)